संख्या–15/20/95–का–4–2012

प्रेषक,

राजीव कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

कार्मिक अनुभाग–4

लखनऊ : दिनांक : 18 सितम्बर, 2012

विषयः–लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश को समय से अधियाचन प्रेषित किया जाना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, समसंख्यक शासनादेश दिनांक 30.9.1991, दिनांक 2.1.1996, दिनांक 27.5.1997, दिनांक 9.8.2007, दिनांक 29.12.2008, दिनांक 5.10.2009, दिनांक 23.11.2009, दिनांक 28.10.2010, दिनांक 3.10.2011 एवं दिनांक 14.3.2012 के द्वारा आपसे यह अनुरोध किया गया है कि समय से चयन की कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु, सम्पूर्ण सूचनाओं का समावेश करते हुए, संबंधित पदों के अधियाचन 02 वर्ष पूर्ण लोक सेवा आयोग को प्रेषित कर दिये जायें।

2. लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा अवगत कराया गया है कि उपर्युक्त संदर्भित शासनादेशों में दिये गये सुस्पष्ट प्राविधानों/ निर्देशों के बावजूद विभागों द्वारा आयोग को समय से अधियाचन उपलब्ध नहीं कराये जा रहे हैं, जिससे चयन सम्पन्न कराने में विलम्ब हो रहा है ।

3. उपर्युक्त के संबंध में आपसे निम्नवत् अनुरोध करने का मुझे पुनः निदेश हुआ हैः–

(1) सम्मिलित राज्य/ प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2013 में सम्मिलित किये जाने वाले समस्त पदों के अधियाचन विलम्बतम दिनांक 31.10.2012 तक आयोग को संलग्न नवीन अधियाचन प्रपत्र संख्या–1 पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें। अधियाचनों में समस्त सूचनाओं का समावेश करते हुए, सेवानियमावली की प्रति (हिन्दी/अंग्रेजी) उपलब्ध कराते हुए, लम्बवत् एवं क्षैतिज आरक्षण की स्थिति भी स्पष्ट करने का कष्ट करें । अधियाचन प्रेषित किये जाते समय, समसंख्यक शासनादेश दिनांक 9.8.2007 के प्राविधानों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाय। यदि विकलांगजन हेतु क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत कोई रिक्ति आरक्षित की जानी हो, तो शासनादेश दिनांक 13.1.2011 के अनुसार स्पष्ट चिन्हांकन/विकलांगता का उल्लेख करते हुए, कार्मिक विभाग के शासनादेश दिनांक 3.2.2008 के प्रस्तर–24 के अनुसार प्रमाण पत्र भी प्रेषित करने का कष्ट करें।

(2) आयोग द्वारा सम्पादित की जाने वाली अन्य परीक्षाओं/चयनों के अधियाचन भी यथाशीघ्र आयोग को प्रेषित करने का कष्ट करें ।

(3) विभिन्न चयनों एवं परीक्षाओं के अधियाचनों के संबंध में आयोग द्वारा की जाने वाली पृच्छाओं/संवीक्षाओं का उत्तर समयबद्ध रूप से आयोग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

4. कृपया उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें ।

संलग्नकः– यथोपरि ।

भवदीय,

(राजीव कुमार)
प्रमुख सचिव

संख्या–15/20/95(1)–का–4–2012, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि, सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को उनके पत्र संख्या–272/4/ई–1/2012–13, दिनांक 4.9.2012 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित ।

आज्ञा से,

(एच.एल.गुप्ता)
विशेष सचिव

अधियाचन प्रपत्र–1

(प्रतियोगिता परीक्षा एवं साक्षात्कार द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए)

1– (क) पद का नाम तथा वेतनमान–

(ख) क्या यह पद नया सृजित किया गया है, यदि हॉ, तो वह पद कब सृजित किया गया–

(ग) भरे जाने वाले पदों की संख्या–

(1) अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए–

(2) अनुसूचित जनजाति के लिए–

(3) पिछड़ी जाति–

(4) स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित–

(5) सेना के विकलांग एवं सेना के वियोजित अभ्यर्थियों/भूतपूर्व सैनिकों के लिए–

(6) अक्षम/विकलांग अभ्यर्थियों हेतु–

(1) दृष्टिहीन या कम दृष्टि के अभ्यर्थियों के लिए–

(2) श्रवणह्रास से ग्रसित अभ्यर्थियों के लिए–

(3) चलन किया संबंधी अशक्तता या प्रमस्तिष्कीय अंगघात से ग्रसित व्यक्तियों के लिए–

(आरक्षण हेतु पद विशेष को चिन्हित व अधिसूचित किये जाने विषयक शासनादेश/अधिसूचना/विज्ञप्ति का विवरण देते हुए, उसकी प्रतिलिपि भी संलग्न करें)

(7) महिलाओं के लिए–

(8) सामान्य अभ्यर्थियों हेतु–

टिप्पणी :–क्या विभाग द्वारा रोस्टर रखा जा रहा है और उपरोक्त रिक्तियां रोस्टर के अनुसार हैं ? यदि हॉ, तो रोस्टर के कमांक का स्पष्ट उल्लेख किया जाय।

(घ) यदि यह पद नया नहीं है, तो यह कब और कैसे रिक्त हुआ है–

(1) क्या पद पर किसी की नियुक्ति कर दी गयी है–

(2) यदि हां, तो यह कब से इस पद पर कार्य कर रहा है–

(3) क्या उनकी स्थानापन्न नियुक्ति के लिए आयोग का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है, यदि हॉ, तो आयोग का पत्र संख्या तथा दिनांक उद्धृत किया जाय–

(4) यदि अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया है, तो परिस्थितियां बतायी जायें, जिसमें आयोग के पूर्व अनुमोदन से नियुक्ति नहीं की जा सकी–

(क) क्या उक्त पद आयोग के विचार क्षेत्र में है–

(ख) सेवा का नाम यदि कोई हो, जिससे उक्त पद संबंधित है–

(ग) क्या उक्त पद संवर्ग की उस संख्या में सम्मिलित हैं, जो संबंधित सेवा नियमावली में दिखायी गयी है–

(घ) यदि नहीं, तो नियुक्ति (ख) विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–26/ 28–65, दिनांक 11 अक्टूबर, 1965 के अनुसार पदों की संख्या बढ़ाये जाने के लिए आवश्यक विज्ञप्ति की संख्या और दिनांक बतायें–

2– राजपत्रित या अराजपत्रित–

3– यह पद स्थायी है अथवा अस्थायी, यदि अस्थायी है, तो वह अवधि, जबकि यह पद कायम रहेगा–

4– क्या पद पेंशनयुक्त है अथवा बिना पेंशन का–

5– परिवीक्षा अवधि यदि कोई हो–

6– कर्तव्य–

7– चुने गये अभ्यर्थियों को कब तक कार्य ग्रहण करना होगा–

8– वेतनमान क्या बढ़ाया गया, प्रारम्भिक वेतनमान दिया जा सकता है, यदि हॉ, तो किस हद तक–

9– निर्वाह निधि–

10– कोई विशेष रियायत, जैसे मुफ्त क्वार्टर, रोशनी पानी–

11– अपेक्षित अर्हताएं–

(क) अनिवार्य जिसमें शिक्षा संबंधी अर्हताएं प्रशिक्षण, अनुभव आदि जैसी बातें सम्मिलित हैं–

(ख) अधिमान्य अर्हताएं, यदि कोई हो–

(ग) कोई अन्य अर्हतायें–

(घ) यदि उपर्युक्त अर्हताएं किसी हद तक शिथिल की जा सकती हैं, तो वह किस हद तक ऐसा किया जा सकता है–

(ड.) क्या समकक्ष अर्हताएं स्वीकार की जायेगी, यदि हां, तो समकक्ष अर्हताएं बताइए–

12– आयु सीमायें–

(क) निम्न आयु सीमा–

(ख) उच्च आयु सीमा (यह बताइये कि क्या इस आयु सीमा को शिथिल किया जा सकता है, तो कितना)–

13– राष्ट्रीयता–

14– क्या सरकारी कर्मचारी पात्र हैं, यदि हॉ, तो क्या उनके पक्ष में किसी शर्त को शिथिल किया जायेगा, उन शर्तों को बताइये, जो उनके पक्ष में शिथिल की जायेगी–

15– कोई अन्य शर्त अथवा अर्हता को उपर्युक्त प्रश्नों के अन्तर्गत नहीं आती–

अधियाचन प्राधिकारी के हस्ताक्षर .....

पद नाम .....